तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
15-6-17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान मे पंचायत मुख्यालय मोतीसरा मे पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण को जारी लोक अदालत नोटिस बाद तामील प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल हो। विप्रार्थी स.1 से 25 व 29 से 39 एकरतफा। शेष विप्रार्थी के भी नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुई है। जो बावजुद सुचना के हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व भी एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है।वकील प्रार्थीगण की आवेदन पर अंतिम बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। और शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी	

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–पंचायत मुख्यालय मोतीसरा)

पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.137 / 2016

प्रार्थीगण

1.उमाराम

2.भलाराम

3.धोकलाराम

4.गेनाराम

5.रेखाराम पिसरान छोलाराम

जाति भांभी निवासी रामदेवरा

तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1.भोपाराम पुत्र गुलाराम

2.रावताराम

3.मोटाराम

4.पनाराम पिसरान बुद्वाराम

5.आम्बाराम

6.खेमाराम

7.लुम्बा पिसरान रणछा

8.गोधुराम

9.मूलाराम पिसरान जुगताराम

10.रामाराम पुत्र मांगाराम

11.रूधाराम पुत्र भगाराम

12.कंवराराम पुत्र रतनाराम

13.हरजीराम पुत्र भगाराम

14.मूलाराम

15.हुकमाराम

16.रामाराम

17.तेजाराम

18.खेताराम पिसरान तुलछाराम

19.पेम्पोदेवी पत्नि तुलछाराम

20.बीजाराम

21.बनाराम

22.मंगलाराम

23.मोहनलाल पिसरान मानाराम

24.लेहरो पत्नि मानाराम

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

25.उदाराम पुत्र सागर

26.पीराराम

27.चैनाराम

28.ताजाराम पुत्र गोमाराम जाति भांभी निवासी रामदेवरा तहसील सिणधरी

29.बरकत

30.अली मोहम्मद

31.रहमान पिसरान नूरा खां

32.सफी खां

33. सुमार खां पिसरान सदीक जाति मुसलमान कुम्हार निवासी रामदेवरा तहसील सिणधरी

34.रूपाराम

35.रामाराम

36.वीराराम

37.तेजाराम

38.अनाराम

39.जेठाराम पिसरान भलाराम जाति जाट निवासी रामदेवरा तहसील सिणधरी

40.तहसीलदार सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री नारायण कुमावत,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकरतफा।

आदेश

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

दिनांक–15.6.17

Scanned by CamScanner

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रामदेवरा पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 171/2,182/2 व 182/6 कुल रकबा 49–09 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रामदेवरा पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 171/2,182/2 व 182/6 कुल रकबा 49–09 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। बावजुद सुचना अनुपस्थित। हस्तगत प्रकरण मे विप्रार्थी स.1 से 25 व 29 से 39 के विरूद्व पूर्व मे ही एकतरफा कार्यवाही पारित हो चुकी है। शेष विप्रार्थी आज बावजुद सुचना के हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व भी एकरतफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रामदेवरा पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 171/2,182/2 व 182/6 कुल रकबा 49–09 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रामदेवरा पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 171/2,182/2 व 182/6 कुल रकबा 49–09 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की करवाई सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रामदेवरा पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 171/2,182/2 व 182/6 कुल रकबा 49–09 बीधा भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्राथीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर **ग्राम रामदेवरा पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 171/2,182/2 व 182/6 कुल रकबा 49–09 बीधा** भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

15/6/17

(नाथूसिंह राठौड)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 15/6/17 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

15/6/17

(नाथूसिंह राठौड)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner